संख्या:4824 /VII-2-07/16-खादी/2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1775/बजट–08/खा0ग्रा0/2007–08, दिनांक 29 अगस्त, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु उद्योग निदेशालय के आयोजनागत पक्ष के 03–खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना में रू0 2.00 करोड (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विगत वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद शासन की सहमति से ही किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि इसका आहरण चार बराबर किश्तों में, पूर्व आहरित किश्त के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किश्त का आहरण किया जायेगा तथा व्यय उन्हीं मद में किया जावे जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसको व्यय करने पर बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0एण्ड डी0 अथवा टेन्डर, कोटेशन विषयक वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जावेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त रिबेट की धनराशि उन्हीं संस्थाओं को दी जा रही है जिनका पंजीकरण शासन/खादी बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया गया हो। बोर्ड द्वारा रिबेट की धनराशि का लाभ प्राप्त किये जाने वाली संस्थाओं की सूची व इससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का विवरण भी शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– धनराशि आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गत वर्षों में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही धनराशि व्यय किया जाय;

6– सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री हेतु अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जायेगा व खादी वस्त्रों की प्रदर्शनी आयोजित कर इन वस्त्रों के उपयोग हेतु जनता को आकर्षित किया जायेगा। बोर्ड द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री अधिकाधिक किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के अधीन ही किया जायेगा, मानकों के इतर कदापि न किया जाये।

8– शासनादेश की शर्तों का अनुपालन न करने का समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखाशीर्षक-2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-आयोजनागत, 800-अन्य व्यय, 03-खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 373/XXVII(2)/2007 दिनांक 06 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हेमलता दीक्षित)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 4824 (1)/VII-2-07/18-खादी/2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव-माo मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. निदेशक/अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता दीक्षित)
अपर सचिव।